भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 810
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

810. **श्रीमती मालविका देवी**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि देश के पिछड़े गांवों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर अत्यंत गंभीरता से लिया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गांवों में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम न करें क्योंकि अधिकांश पिछड़े गांवों में कम आयु में ही बच्चों को कमाने के लिए मजबूर किया जाता है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं कि बाल विवाह को पूर्णतः रोक दिया जाए और ऐसे अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): "पुलिस" और "सार्वजनिक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है और वे इससे निपटने में सक्षम हैं।

सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और हाल के वर्षों में इसने ठोस प्रयास और महत्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार के उपायों और पहलों में लैंगिक आधारित हिंसा से निपटने और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने और त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिए महिलाओं के जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करने का समग्र दृष्टिकोण शामिल है। महिला सुरक्षा उपायों, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, महिला सशक्तीकरण को बढ़ाने और देश भर में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की सरकार की व्यापक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ये पहलें की जाती हैं।

केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसके अलावा, भारत सरकार हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर सहायता और सेवाओं की एकीकृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) जैसी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं जैसे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श, कानूनी सहायता और परामर्श और देश भर में अस्थायी आश्रय; महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सेवाओं और सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए टोल फ्री टेलीफोन शॉर्ट कोड 181 पर संचालित महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल); लैंगिक भेदभावपूर्ण लिंग चयन और बालिकाओं के सशक्तीकरण से संबंधित शिक्षा और मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), और मिशन शक्ति की व्यापक योजना के तहत कठिन परिस्थितियों या अभावग्रस्त महिलाओं के लिए शक्ति सदन को कार्यान्वित करती है।

'मिशन शक्ति' की "सामर्थ्य" उप-योजना के अंतर्गत, एक नया घटक अर्थात संकल्प-महिला सशक्तीकरण केंद्र, केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुगम बनाने के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें। एचईडब्ल्यू के तहत सहायता महिलाओं को उनके सशक्तीकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन, जोड़ने और उनका हाथ थामने का काम करती है, जिसमें देश भर में जिलों/ब्लॉक/ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच शामिल है।

मिशन शक्ति के अंतर्गत "संबल" उप-योजना के एक घटक, नारी अदालत, एक पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और स्थानीय स्तर पर उनके मुद्दों का निवारण करना

है, यह वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह कार्यनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) और राज्यों में उनके समकक्ष संस्थानों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा महिलाओं से संबंधित कानून आदि के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं, ऑडियो-विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है।

इसके अलावा, आयोग ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित लंबित मामलों को मौके पर ही उठाने और शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय में "महिला जन सुनवाई" (वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में) शुरू की है। महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को और अधिक सुलभ बनाने के लिए आयोग ने 29 मार्च, 2022 से दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी सेवा क्लिनिक भी शुरू किया है। कानूनी सहायता क्लिनिक घरेलू हिंसा और अन्य मुद्दों में महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करके उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एकल-खिड़की सुविधा है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(i) आपराधिक कानून (संशोधन), अधिनियम 2013 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड सहित और भी कठोर दंडात्मक प्रावधान किए हैं। अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ बलात्कार के मामलों में 2 महीने में जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने तथा 2 महीने में मुकदमे पूरे करने का भी प्रावधान है। ये प्रावधान अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) का हिस्सा हैं।

(ii) तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के साथ ही पहली बार महिलाओं के खिलाफ अपराध जो आईपीसी में बिखरे हुए थे, उन्हें बीएनएस में एक अध्याय के तहत लाया गया है। शादी, नौकरी, पदोन्नति का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने आदि को एक नया अपराध बनाया गया है। यह प्रावधान महिलाओं को रोकने और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है।

(ग): सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न उपाय और प्रयास किए हैं जिनमें विधायी उपाय, पुनर्वास नीति, मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान करना और सामान्य

सामाजिक-आर्थिक विकास शामिल हैं। वैधानिक और विधायी उपायों, पुनर्वास रणनीति और शिक्षा का विवरण इस प्रकार है:

(i) बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का अधिनियमन। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम या रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध और 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने पर प्रतिबंध शामिल है। यह अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियोक्ताओं के लिए सख्त सजा का भी प्रावधान करता है और अपराध को संज्ञेय बनाता है।

(ii) बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) और कार्य बल का प्रावधान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के प्रावधानों का समुचित रूप से कार्यान्वयन हो सके।

(iii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कार्रवाई बिंदुओं को सूचीबद्ध करते हुए आदर्श राज्य कार्य योजना तैयार की है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के बचाव एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना कार्यान्वित करता है, जिसके तहत 9-14 वर्ष की आयु के बच्चों को काम से बचाया जाता है, एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में दाखिला दिलाया जाता है और औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यधारा में लाने से पहले उन्हें ब्रिज शिक्षा आदि प्रदान की जाती है। एनसीएलपी योजना को 01.04.2021 से शिक्षा मंत्रालय की एक योजना समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) में शामिल किया गया है।

(घ) और (ङ): भारत में बाल विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 के तहत कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद लाखों युवा लड़कियों और लड़कों को प्रभावित करता है। पीसीएमए अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के बाद से, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के अनुसार बाल विवाह का प्रसार 2006 में 47% से घटकर 2019-21 के दौरान 23.3% रह गया है।

'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, बाल विवाह पर रोक सहित महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत वे ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' - 22 जनवरी 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख अभियान बालिकाओं को महत्व देने के प्रति समाज में व्यवहार और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक रहा है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि पिछले कुछ वर्षों में बाल मृत्यु दर, जन्म के समय लिंग अनुपात और सभी स्तरों और शिक्षा के सभी क्षेत्रों में लड़कियों के नामांकन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, ने 27 नवंबर 2024 को 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण के साथ देश भर में बाल विवाह को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान 'बाल विवाह मुक्त भारत' शुरू किया। इसके प्रमुख उद्देश्यों में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना, इस उद्देश्य के लिए माता-पिता, समुदायों, सीएसओ की अधिक भागीदारी, बाल विवाह की रोकथाम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की भूमिका को मजबूत करना और उन किशोरियों की पहचान करना और उनकी सहायता करना शामिल है जो स्कूल छोड़ चुकी हैं या जिन्होंने अचानक स्कूल आना बंद कर दिया है ताकि उनकी शिक्षा, कौशल और क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। नागरिकों को बाल विवाह के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करके जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रमों को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

मंत्रालय ने 'बाल विवाह मुक्त भारत' पोर्टल भी शुरू किया, जो ऐसी घटनाओं की प्रभावी रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और इसकी निगरानी में चुनौतियों का समाधान करने के लिए, नया पोर्टल देश भर में सीएमपीओ पर जानकारी के सार्वजनिक रूप से सुलभ, केंद्रीकृत भंडार का कार्य करता है, जो बाल विवाह के मामलों के लिए एक कुशल रिपोर्टिंग तंत्र प्रदान करता है।

इस पहल में उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सभी सीएमपीओ के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें भौतिक रूप से और वर्चुअल रूप से भाग लेने वाले दोनों ही शामिल थे।

*****